

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

स०८डी०(बजट-आवंटन-2225)-12-15/2017-

119

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक ।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,

किशनगंज / सीतामढ़ी / शेखपूरा / प०चमपारण / अररिया / नवादा / जहॉनाबाद एवं पटना ।

पटना, दिनांक 24.01.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में गैर योजनान्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के संधारणार्थ कुल ₹ 96,14,800/- (छेयान्चे लाख चौदह हजार आठ सौ रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।


महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण एवम् उनके कार्यालय में सृजित स्थायी अराजपत्रित पदों, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के वेतन-भत्ता एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या 06 दिनांक 15.05.17, 42 दिनांक 12/07/2017, 51 दिनांक 17/08/2017, 64 दिनांक 22/09/2017, 83 दिनांक 03/11/2017, 94 दिनांक 30/11/2017, 104 दिनांक 21/12/2017 एवं 108 दिनांक 29/12/2017, एवं 114 दिनांक 05/01/2018 द्वारा आवंटन दिया गया था । संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माँग के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 96,14,800/- (छेयान्चे लाख चौदह हजार आठ सौ रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है ।

2- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय शीर्ष "2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण-001-निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- 0001.0101-वेतन, 0001.0103-जीवन यापन भत्ता, 0001.0104 मकान किराया भत्ता, 0001.0105-परिवहन भत्ता, 0001.0106-चिकित्सा भत्ता, 000.0107- अन्य भत्ता सं०-44 -बिपत्र कोड सं० 44-2225010010001 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है ।

3- जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र / परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे ।





5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा । संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से, जिन्हे उनके द्वारा उप आवंटन दिया गया हो, व्यय विवरणी टी0भी0 नम्बर इत्यादि प्राप्त कर मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक 23/01/18

ज्ञापांक- स08डी0(बजट-आबंटन-2225)-12-15/2017 119 पटना, दिनांक 24.01.18  
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।  
(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।  
(3) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, कौशी, /संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित उप विकास आयुक्त, /संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक /सचिव के प्रधान आप्त सचिव अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, कौशी एवं तिरहुत /बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 23/01/18

ज्ञापांक- स08डी0(बजट-आबंटन-2225)-12-15/2017 119 पटना, दिनांक 24.01.18

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 23/01/18

### विवरणी

वित्तीय वर्ष- 2017-2018 में गैर योजना के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उप निदेश, कल्याण जिला कल्याण पदा०, अनुमंडल कल्याण पदा०, प्रखंड कल्याण पदा०, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, ग्रेन गोला चौकीदार,

लिपिक-सह-लेखापाल, झालक, एवं चपरासी पदों के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि :-

शीर्ष- 2225- अनु०जातियों, अनु० आदिम जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनु०जातियों का कल्याण-निदेशन और प्रशासन

क्रमांक	कार्यलय का नाम	वेतन	जी०या० भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल अतिरिक्त आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय, किशनगंज ।	300000	500000	400000		1000	0	1201000
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय, सीतामढी ।	200000	400000	200000		0	0	800000
3	जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय, शेखपुरा ।	200000	300000	250000		1000	0	751000
4	जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय, प० चम्पारण ।	300000	500000	500000		1000	0	1301000
5	जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय, अररिया ।	500000	700000	700000		1000	0	1901000
6	जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय, नवादा ।	200000	300000	300000		0	0	800000
7	जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय, जहानाबाद ।	300000	500000	400000		1000	5000	1206000
8	जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यालय, पटना ।	423000	683700	421000	120000	1600	5500	1654800
	कुल योग	2423000	3883700	3171000	120000	6600	10500	9614800

छेयान्चे लाख चौदह हजार आठ सौ रू० मात्र

पत्रांक 119 दिनांक 24.01.18 का अनुलग्नक

allotment of filed staff-17-18 (Additional)/sheet-8

निदेशक 24/1/18

VV